न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्याः—132/2015

1. हीरालाल **2. अमरसिंह**	**पुत्रगण प्रभु**	**जाति जाट निवासी नगला हींस, तहसील व जिला भरतपुर**
3. इन्द्र कुमार **4. सोनूसिंह**	**पुत्रगण जैसिंह**	

.....................वादीगण

बनाम

1. करनसिंह पुत्र ज्ञानी जाति जाट निवासी नगला हींस, तहसील व जिला भरतपुर (मृतक)

1/1. महेन्द्र
1/2. पूरन
1/3. सतीश
पुत्रगण स्व0 करनसिंह जाति जाट निवासी नगला हींस, तहसील व जिला भरतपुर

2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।

..................प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः—27/12/2018

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम सुनारी तहसील व जिला भरतपुर स्थित हाल खसरा नंबर 09/0.08 व 10/0.19 के साविक बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 9 रकबा 8 बिस्वा व खसरा नंबर 10 रकबा 18 बिस्वा हैं, जिनके वादीगण काबिज खातेदार व का तकार हैं। जिन्हें वादीगण ने विरासत में प्राप्त किया है। उक्त साविक बन्दोबस्ती खसरा नंबरान राजस्थान जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन कानून जारी होने से पूर्व मालिकान बिस्वेदार पदमसिंह वगैरह की खेवट में थे और संवत 2010 तक प्रतिवादी नंबर 1 ने काश्त की थी। और उसे गैर मौरूसीदार के हक प्राप्त थे। मगर प्रतिवादी नंबर 1 के पन्न में नहीं होने के कारण संवत 2010 में ही उसने उक्त रकबा पर काश्त करना छोड दिया।

संवत 2011 में वादीगण के पूर्वज प्रभु ने उक्त मालिक बिस्वेदारान से लगान पर उक्त साविक खसरा नंबरान को काश्त करने के लिए ले लिया और वह वहैसियत काश्तकार काश्त करने लगा व लगान भी अदा करने लग गये। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व प्रभु

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

पूर्वज वादीगण वहैसियत का तकार काबिज थे और काश्त कर रहे थे। तब वाई ऑपरेशन ऑफ लॉ प्रभु को उक्त आराजी खसरा नंबरान पर हकूक खातेदारी प्राप्त हो गए। और जब तक वह जीवित रहे वहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करते रहे और लगान भी अदा करते रहे। संवत 2013–14 के आस–पास प्रभु का स्वर्गवास हो गया और उक्त आराजी के हकूक वादीगण व उनके स्व0 भाई जैसिंह को विरासत में प्राप्त हो गये और आराजी पर काबिज होकर काश्त करने लग गए। सन् 2005 में जैसिंह की मृत्यु हो जाने पर वादीगण बहिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त करते चले आ रहे हैं और काबिज हैं।

आराजी पर वादीगण के नाम मौका के खिलाफ खातेदारी दर्ज नहीं की जा रही है और प्रतिवादी नंबर 1 को बतौर गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा है जो गलत है । प्रतिवादी नंबर 1 ने उक्त आराजी को संवत 2011 में छोड देने के पश्चात आज तक काश्त नहीं किया है और उसका आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इस प्रकार वादीगण आराजी की बावत खातेदारी की घोशणा करा पाने का तथा प्रतिवादी नंबर 1 के नाम हो रहे गैर खातेदारी के इंद्राज को दुरूस्त करा पाने का हकदार हैं।

अन्त में वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण विवादित खसरा नंबर 9/0.08 और 10/0.19 वाके ग्राम सुनारी तहसील भरतपुर पर वहैसियत खातेदार काश्तकार घोषित करा पान के अधिकारी हैं। उक्त आराजी पर प्रतिवादी नंबर 1 के नाम हो रहे गैर खातेदारी के इंद्राज को कलमजन करा पाने के अधिकारी हैं तथा कागजात पटवार में वादी हीरालाल व अमरसिंह तथा वादी इन्द्र कुमार व सोनू सिंह को 1/3 वहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज किया जावे। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी हाल संवत् 2071–2074, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी संवत् 2011–15 और 2024–27 पेश की हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 दिनांक 12.03.2016 को न्यायालय में उपस्थित आये। वादीगण और प्रतिवादीगण की तरफ से राजीनामा प्रस्तुत हुआ जो बाद तस्दीक संलग्न पत्रावली है। पैरोकार सरकार भरतपुर भी उपस्थित आये लेकिन जवाब हेतु बार–बार अवसर देने के उपरांत भी जवाब न आने पर दिनांक 27.11.2017 को इनका जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में दिनांक 21.08.2018 को गवाह अमरसिंह का एवं 05.09.2018 को गवाह हाकिम सिंह का भापथपत्र पेश हुआ। अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली पर अभिभाशक वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने दावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए दावा वादीगण स्वीकार करने का निवेदन करते हुए अपनी बहस पूर्ण की।

हमने अभिभाषक वादीगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी नंबर 1 संवत 2010 में ही आराजी पर काश्त करना छोड दिया था। उक्त आराजी से प्रतिवादी का कोई संबंध व सरोकार नही है। आराजी पर वर्तमान में वादीगण ही काबिज हैं और पूर्व में उनके पूर्वज काश्तकार काबिज थे। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2011–15 की जमाबंदी के अनुसार साविक खसरा नंबर 9 व 10 पर प्रतिवादी करनसिंह पुत्र ज्ञानी के नाम के इन्द्राज हैं। इसके अतिरिक्त जमाबन्दी संवत 2024–27 पर भी उक्त आराजी पर प्रतिवादी करनसिंह पुत्र ज्ञानी के ही इन्द्राज हैं एवं वर्तमान जमाबंदी संवत 2071–74 में भी साविक खसरा नंबरान से बने हाल खसरा नंबरान 09/0.08 व 10/0.19 पर भी प्रतिवादी करनसिंह पुत्र ज्ञानी गैर खातेदार दर्ज है। इस प्रकार उक्त आराजी पर करनसिंह के नाम के इन्द्राज पूर्व से ही ताहाल तक चले आ रहे हैं। वादीगण ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे स्पष्ट होता हो कि उपरोक्त आराजी पर उनका अथवा उनके पूर्वजों का कभी भी कोई कब्जा रहा हो। वादीगण ने राजीनामा से उक्त आराजी पर अपने इन्द्राज चाहे हैं। जिससे यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो जाता है कि यदि वादीगण और प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा से आराजी का हस्तान्तरण होता है तो निश्चित ही राजस्व हानि होगी जो स्टाम्प करापवंचन की संज्ञा में आता है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण सिद्ध न होने से साक्ष्य के अभाव में काबिल खारिज के है।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादीगण साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर

Web Copy - Not Official